

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम- 26)

अज अदालत- अपर जिला कलक्टर, मुकाम- नागौर

अपीलान्त

बनाम


रेस्पोंडेंट

देवीलाल पुत्र हरीराम जाति गिवारिया निवासी ग्राम
बुटाटी तहसील डेगाना जिला नागौर।

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सांजू
जिला नागौर।

किस्म मुकदमा- राजस्व अपील

सं. 119/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-11-19	<p>अपीलान्त ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उप तहसीलदार सांजू द्वारा सरकार बनाम देवीलाल प्रकरण सं. 05/18 मे पारित निर्णय दिनांक 23.02.18 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्त Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट जरिये सम्मन तलब हो। विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जावे। पत्रावली दिनांक 30.12.19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अपर जिला कलक्टर नागौर</p>	1560-61 28.11 (नं-1)
30-12-19	<p>वकील कमीलोट एडव. ए. ए. का रिमांड प्राप्त हुआ। वकील कमीलोट एडव. ए. ए. का रिमांड प्रेश करके ई. ए. ए. कमीलोट को कमीलोट Not press में प्रवेश की जायेगी। कमीलोट केस प्रेश हो। कमीलोट का केस प्रेश हो। कमीलोट</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>अपर कलक्टर, नागौर</p> 	नोट प्रेश <i>[Signature]</i> 30/12/19